न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 6/2024
जी.सी.एम.एस नम्बर – 2024/117

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
1. रमेश सोनी पुत्र पुखराज जाति सोनी निवासी 29 आदर्श नगर कॉलेनी मानसागर महामंदिर जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20.5.2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन के राजस्व प्रकरण संख्या 1347/2022 बअनवान सरकार बनाम रमेश सोनी में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2023 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का जाडन की रिपोर्ट दिनांक 28.03.2023 के आधार पर 91 एल.आर.एक्ट. के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया लेकिन अपीलाण्ट का पता कडेल कृषि फार्म जाडन दर्ज कर इसी पते से नोटिस जारी किया गया, जो अपीलाण्ट को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कभी तामिल नहीं हुआ क्योकि अपीलाण्ट जोधपुर में निवास करता है फिर भी गलत पते पर नोटिस भिजवाकर फार्म हाउस का दरवाजा बन्द होने से चार बार आवाज लगाकर चस्पादगी की कार्यवाही किया जाना बताया। जिस पर भी मौतबिरान की पूर्ण जानकारी नहीं है। नोटिस में तामीली रिपोर्ट की अन्तिम लाईन बाद में लिखी है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चावर्ती दिनांक में की गयी है। पेशी दिनांक 12.04.2023 को नोटिस बाद तामिल मानकर एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो अवैध व शून्य है।

खसरा नम्बर 242 किस्म गै.मु.काकर एक पथरीली जमीन थी जिसे अपीलाण्ट द्वारा विकसित की गयी। अपीलाण्ट को जारी धारा 91 एल.आर.एक्ट. का नोटिस प्रारूप 'क' अनुसार नही है एवं विधि में प्रावधान है कि अगर कोई अतिक्रमी है तो उसे अतिक्रमण हटाने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना तथा इस बाबत नोटिस व प्रथम

अति. जिला कलेक्टर पाली

आदेशिका में अंकन होना आज्ञापक है। तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय में भी अपीलाण्ट को समय नहीं दिया गया। दिनांक 18.04.2023 को खसरा नम्बर 242 की भूमि पर अपीलाण्ट के द्वारा किये गये पक्के निर्माण, गेट, तारबन्दी तथा पेड पौधे तोड दिये एवं नष्ट कर दिये। धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत पक्का निर्माण तोडने से पूर्व जिला कलक्टर महोदय की अनुमति आवश्यक है। उपरोक्त भूमि को लीज पर लिये जाने बाबत अपीलाण्ट का आवेदन सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन के यहा दिनांक 27.10.2021 से लम्बित था जिस पर पत्र दिनांक 9.11.2021 के द्वारा तहसीलदार से जांच रिपोर्ट चाही गयी थी। अपीलाण्ट ने स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 241 के साथ साथ खसरा नम्बर 242 पर गौ माता एवं नंदीशाला सरक्षंण और सवंर्धन केन्द्र तथा करीब 18000 पेड पौधो लगाये थे जिसमें से करीब 4000 पेडों को भी नष्ट कर दिया। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका पेश की, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का विधिनुसार निर्णित किये जाने एवं चार सप्ताह का अन्तरिम अनुतोष दिया गया। अतः जैर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे एवं अपीलाण्ट के लीज आवंटन आवेदन के निर्णित होने तक अपीलार्थी के आधिपत्य एवं उपयोग में बाधा इत्यादि नहीं करे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का जाडन की रिपोर्ट दिनांक 28.03.2023 के आधार पर खसरा नम्बर 242 रकबा 16.7059 हैक्टर किस्म गै.मु.काकर मे रकबा 6.50 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी रमेश सोनी वल्द पुखराज सोनी कौम सोनी साहिन जोधपुर हाल निवासी कडेल कृषि फॉर्म जाडन में संवत् 2079 में नाजायज कब्जा कर तारबंदी एवं पक्का निर्माण कर रखा है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए की गई है। अतः उक्त आदेश विधि संगत होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश दिनांक 12.04.2023 को पारित हुआ तथा अपीलाण्ट ने अपील दिनांक 06.05.2024 को पेश की है। अपील अपीलाण्ट को न्याय की दृष्टि से अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पटवारी हल्का जाडन ने अपीलाण्ट द्वारा मौजा जाडन खालसा खसरा नम्बर 242 रकबा 16.7059 हैक्टर किस्म गै.मु.काकर में रकबा 6.50 हैक्टर भूमि पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा कर तारबन्दी एवं पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने बाबत् टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये गये। 91 एल.आर.एक्ट. के अधीन नोटिस प्रारूप 'क' में अपीलाण्ट रमेश सोनी पुत्र पुखराज सोनी जाति सोनी निवासी जोधपुर हाल निवासी कडेल कृषि फॉर्म जाडन को दिनांक 28.03.2023 को जारी किया

अति. जिला कलेक्टर पाली

गया, जो मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है। नोटिस में स्पष्ट उल्लेखित है कि 'आप दिनांक 12.04.2023 के पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लिडर द्वारा दिनांक 12.04.2023 को तहसील कार्यालय मारवाड जंक्शन 10.00 पूर्वान्ह हाजिर होवे तथा यह स्पष्ट करे कि आपको यहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।' उक्त नोटिस पर प्राप्त तामीली रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट को नोटिस तामीली के लिए इनके फार्म पर गया फार्म पर जाने का दरवाजा बन्द होने से दरवाजा से चार बार आवाज लगाई परन्तु कोई नहीं आया ऐसी स्थिति में निम्न मौतबिरान की मौजुदगी में कृषि भूमि के परिसर में नोटिस चस्पा किया गया। जिससे स्पष्ट है कि 91 एल.आर. एक्ट. का नोटिस निर्धारित प्रारूप में विधिनुसार, विधिवत तरीके से जारी किया गया जिसे मौतबिरान की उपस्थिति में चस्पा किया गया।

दिनांक 12.04.2023 अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 242 रकबा 6.50 हैक्टर भूमि पर अतिकमी घोषित कर 1000/– रूप्ये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये। जिसकी पालना में पटवारी हल्का जाडन दिनांक 18.04.2023 एवं 19.04.2023 को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये संशाधनों से पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में खसरा नम्बर 242 में रकबा 6.50 हैक्टर भूमि में किए गये अतिक्रमण को हटाकर वर्तमान में भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 242 रकबा 6.50 हैक्टर गै.मु.काकर की भूमि पर अनाधिकृत निर्माण व कब्जा करने के कारण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलाण्ट के नाम विधिनुसार नोटिस जारी कर अपीलाण्ट को अतिक्रमण हटाने का दिनांक 12.04.2024 तक पर्याप्त समय तथा सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात जैर अपील आदेश पारित कर अतिक्रमण हटवाये जाने की कार्यवाही की गयी। जो न्यायसंगत एवं विधिसम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। साथ ही वर्तमान में जैर अपील आराजी से अतिक्रमण हटा दिया है इसलिये जैर अपील निष्प्रभावी है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 1347/2022 बअनवान सरकार बनाम रमेश सोनी में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)